

बकुलाय पक्षकारान उपास्थत / ज.व.व. ०७.११॥

के लिए मौका चाहते है अतः अवसर दिया


जाकर दिनांक...३०...९...२५...को पेश हो।



30.9.24

पत्रावली पेश हुई प्रकरण का मूल वाद अदम दाजरी-  
अदम पैरवी में खारिज होने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही  
शेष नहीं रहती है।

अतः अर्थन पत्र आदेश १ नियम ४ के तहत अदम दाजरी-  
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय से इजलास  
सुनाया गया प्रकरण क्रमांक शुमा/ होडा नम्बर से उप है।

  
(रियासबी)  
IAS